3

प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा लक्ष्य, चुनौतियाँ और अवसर

रिंकू कुमारी*

शिक्षा प्रत्येक बच्चे का बुनियादी अधिकार है। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का उद्देश्य जन्म से 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों की समग्र रूप से बुद्धि विकास और उनके शिक्षण को प्रोत्साहित करना है। देखभाल का अर्थ है, बच्चों को सुरक्षित परिवेश उपलब्ध कराते हुए उसके स्वास्थ्य, साफ-सफाई और पोषण पर ध्यान देना। वैश्विक स्तर पर प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। आजादी के बाद भारत में भी इस पर जोर दिया गया है। इसके लिए भारत सरकार ने नीति, कानून और योजनाएँ बनाई हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ई.सी.सी.ई.) की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, समाजिक न्याय व सशक्तिकरण मंत्रालय हैं, जो 0–6 वर्ष तक के बच्चों को पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा को पहुँचाए एवं बच्चों के समग्र विकास को सुनिश्चित करें। समेकित बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.) की स्थापना आँगनबाड़ी केंद्रों के देखरेख के लिए की गई है। साथ ही जिला प्राथमिक कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी.) सर्वशिक्षा अभियान बच्चों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए की गई। बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण देश के कोने-कोने तक पहुँचाने में बहुत-सी बाधाएँ, मुद्दे और चुनौतियाँ हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लक्ष्य रखा गया है कि पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से उच्चतर गुणवत्ता वाले ई.सी.सी.ई. संस्थानों के लिए सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित हो। इस शोध-पत्र को प्रस्तुत करने का उद्देश्य है कि सरकार द्वारा ई.सी.सी.ई. के क्षेत्र में की गई पहल को बताना। साथ ही आँगनबाड़ी केंद्रों का ई.सी.सी.ई. में योगदान और 2020 में ई.सी.सी.ई. से संबंधित लक्ष्य, चुनौतियाँ और अवसरों को बताना।

शिक्षा प्रत्येक बच्चे का बुनियादी अधिकार है। धर्म, वर्ण या लिंग के आधार पर किसी तरह के भेदभाव के बिना सभी बच्चों को पढ़ने-लिखने और स्वयं को ऐसी जानकारी और दक्षता पाने का अधिकार है, जो बड़े होकर अपने जीवन पर नियंत्रण रखने में उनकी सहायता करेगी। संसाधनों की समान सुलभता सुनिश्चित करने और अधिक समतामूलक समाज का निर्माण करने के लिए शिक्षा की समान सुलभता

* *सहायक प्राध्यापक*, बी.एड. विभाग, डोरंडा कॉलेज, राँची

की व्यवस्था आवश्यक है। हमारे देश में शिक्षा का अधिकार' अधिनियम के अंतर्गत 06–14 वर्ष तक के सभी बच्चों को नि:शुल्क व अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान है। परंतु ध्यान देने योग्य बात यह है कि 6 वर्ष से पहले गैर-अनौपचारिक शिक्षा का भी बहुत महत्व है, जो 6 वर्ष के बाद दी जाने वाली शिक्षा का आधार होती है। आज हमारे यहाँ पढ़े-लिखे शहरी समाज में 3 वर्ष की अवस्था से ही बच्चों को स्कूल जाने की आदत डलवाना शुरू कर देते हैं। अतः आज छोटे से बड़े सभी शहरी समाज में प्ले स्कूल की अवधारणा बहुत जोर पकड़ रही है। उन प्ले स्कूल में बच्चों को खेल के माध्यम से सिखाने का प्रयास किया जाता है तथा बच्चों को स्कूल में रहने की आदत डलवायी जाती है। प्ले स्कूल, एक तरह का स्कूल-पूर्व अनौपचारिक रूप से दी जाने वाली शिक्षा है।

दूसरी ओर ग्रामीण परिवेष में जहाँ प्ले स्कूल तो नहीं है परंतु वहाँ स्कूल-पूर्व गैर-अनौपचारिक शिक्षा आँगनबाड़ी के माध्यम से दी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रो मे आँगनबाड़ी एक प्ले स्कूल की तरह ही कार्य करती है। 6 वर्ष की अवस्था जो शैशावास्था कहलाती है, किसी भी मनुष्य के संपूर्ण जीवन के विकास का आधार होती है। इस अवस्था में की गई संपूर्ण देखभाल और विकास मनुष्य के आने वाले जीवन का निर्माण करती है। इस अवस्था में सीखने की गति और तीव्रता किसी भी अन्य अवस्था की तुलना में सर्वाधिक होती है। इसलिए शैशावास्था में शिशु को जितना अच्छा और उत्तम निर्देशन दिया जाएगा, उसका उतना ही अच्छा विकास होगा।

भारत में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा

भारत की सांस्कृतिक विरासत अनेकों संस्कार का वर्णन करती है, जो शैशावास्था में एक बच्चे को दिया जाता है। यह संस्कार पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता है, जो भावी जीवन में सामाजिक मूल्यों और कौशलों को दर्शाता है। किसी भी बच्चे का मस्तिष्क 6 वर्ष की आयु तक 85 प्रतिशत विकसित हो जाता है। वैश्विक स्तर पर किए गए मस्तिष्क संबंधित अनुसंधान भी हमें मस्तिष्क के विकास के लिए प्रारंभिक वर्षों के महत्व के बारे में बताते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था (जन्म से 6 वर्ष) वह अवस्था है, जहाँ बच्चों को मूल्यों और सामाजिक कौशलों को सिखाने का कार्य परिवार के बड़े-बुजुर्गों के द्वारा किया जाता है। ज्यादातर प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा अनौपचारिक रूप से परिवार के सदस्यों द्वारा खासकर दादा-दादी के द्वारा कहानी सुनाकर, लोरी गाकर या पारंपरिक खेलों के माध्यम से दिया जाता है।

वर्तमान के सामाजिक संरचना में हो रहे बदलाव, संयुक्त परिवार से एकल परिवार की ओर का प्रभाव बच्चों की देखभाल पर भी पड़ा है। संयुक्त परिवार में बच्चों के देखभाल की जिम्मेदारी परिवार के दूसरे सदस्यों पर भी होती थी। एकल परिवार में ये जिम्मेदारी माता-पिता और अगर बड़े भाई-बहन हैं, तो उन पर है। बढ़ते नगरीकरण और महिलाओं का रोजगारोन्मुखी होना, इस बात की संभावना को प्रभावित करता है कि गुणवत्तापूर्ण अनौपचारिक प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा बच्चों को घर के अंदर मिले। सालो से हो रहे इस सामाजिक बदलाव ने एक संगठित पूर्व-विद्यालय

शिक्षा/प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा को जरूरत को महसूस कराया। मैडम मोंटेसरी की भारत यात्रा के बाद भारत में एक संगठित पहल के रूप में पूर्व-विद्यालय/प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का प्रारंभिक दस्तावेजीकरण 19वीं शताब्दी के उतरार्ध में शुरू हुआ, जो गिजुभाई बधेका, ताराबाई मोदक एवं अन्य लोगों के द्वारा किया गया। तत्पश्चात उन्होंने पूर्व स्कूली केंद्र की स्थापना गुजरात में की। 1946 में मैडम मोंटेसरी, महात्मा गाँधी से मिली और पूर्व स्कूली शिक्षा पर वार्ता की। आजादी के बाद बहुत सारे नीति संस्थानों के द्वारा प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की शुरूआत की गई, जो पूर्व-विद्यालय शिक्षा के रूप में भी थी। इसके माध्यम से बच्चों के शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और सर्वांगीण विकास पर जोर दिया गया और इसे सरकार के नीतियों, योजनाओं, अधिनियमों, पंचवर्षीय योजनाओं और संवैधानिक संशोधन में शामिल किया गया।

भारत सरकार का प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा में पहल

भारत सरकार ने आजादी के बाद बच्चों के शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और सर्वांगीण विकास पर जोर दिया है और इसे सरकारी नीति, संवैधानिक संशोधन, योजनाओं में शामिल किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन.ई.पी.) 1986 छोटे बच्चों के सर्वांगीण विकास और प्रारंभिक शिक्षा पर जोर दिया है। पूरे देश में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा का देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। एन.ई.पी. (1986) बाल केंद्रित एवं खेल-खेल में शिक्षा पर बल देता है। राष्ट्रीय पोषण नीति (एन.पी.पी.) 1993 बालकों के स्वास्थ्य एवं सर्वांगीण विकास पर जोर देती है। पहली बार 1974 ई. में भारत सरकार ने बच्चों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय नीति बनाई। इस नीति ने बच्चों को राष्ट्रीय संपत्ति बताया। राष्ट्रीय बाल नीति (एन.पी.सी.) 1974 को 2013 में संशोधित किया गया। इस संशोधन में स्वास्थ्य, पोषण, विकास, शिक्षा, सुरक्षा को बच्चों का अधिकार बताया। राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (एन.ई.सी.सी.ई.) 2013 को सरकार ने अनुमति दी। इस नीति के अंतर्गत ई.सी.सी.ई. के लिए पाठ्यक्रम निर्माण और गुणवत्ता की बात की गई। 0–6 वर्ष तक के सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुँचे, इस बात को जोर दिया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.) 2013 में शुरू किया गया था। एन.एन.एम. ने सार्वभौमिक पहुँच की उपलब्धि की परिकल्पना की है, जो न्यायसंगत, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए लोगों के प्रति (एन.ई.सी.सी.ई.) जवाबदेह और उत्तरायी है। मुख्य कार्यक्रम घटको में स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण, प्रजनन-मातृ-नवजात-बाल और किशोर स्वास्थ्य तथा संचारी और गैर-संचारी रोग है। भारत सरकार ने एकीकृत बाल विकास सेवाओं की शुरुआत 1975 में की जो एक अनूठा कार्यक्रम है और दुनिया के सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक है। इसमें 0–6 वर्ष के उम्र के सभी बच्चे शामिल हैं। यह गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं की जरूरतों को पूरा करता है।

आँगनबाड़ी की भूमिका

आँगनबाड़ी योजना भारत सरकार द्वारा आयोजित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से शिशु देखभाल तथा मातृत्व देखभाल का कार्य किया जाता है। भारत सरकार नें वर्ष 1975 में इस योजना की स्वीकृति दी थी। आँगनबाड़ी शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण 'Courtyard Shelter' है। बच्चे के विकास की आरंभिक अवस्था में होने वाले शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास निर्णायक होता है तथा आरंभिक बाल्यावस्था में उपलब्ध कराई गई सेवाएँ, बच्चे के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। यह भी महसूस किया गया कि बच्चों के उचित विकास के लिए पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सभी आधारभूत जरूरी सेवाएँ बच्चों तथा माताओं को एक साथ, उनके अपने गाँव या वार्ड में उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अनौपचारिक स्कूल-पूर्व शिक्षा, समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है। आँगनबाड़ी में स्कूल-पूर्व शिक्षा का उद्देश्य बच्चे के पूर्ण विकास— शारीरिक प्रेरक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, तथा उसकी भाषा और बुद्धि का विकास करना है। आँगनबाड़ी, शिक्षा की प्रक्रिया का पहला चरण है तथा यह बच्चों को प्राइमरी स्कूल जाने के लिए तैयार करती है। आँगनबाड़ी में 03–06 वर्ष की आयु वर्ग के लगभग 40 बच्चों के लिए स्कूल-पूर्व गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं। यहाँ बच्चों को प्यार, सुरक्षा, विश्वास, सराहना और मान्यता की जरूरतों का ध्यान रखा जाता है तथा स्कूल-पूर्व शिक्षा संबंधी गतिविधियों के लिए स्थानीय तौर पर उपलब्ध तथा कतरन आदि सामग्री का प्रयोग किया जाता है।

आँगनबाड़ी में स्कूल-पूर्व गतिविधियाँ

- आँगनबाड़ी में स्कूल-पूर्व शिक्षा संबंधी गतिविधियों से बच्चों का शारीरिक, सामाजिक, मानसिक व भावनात्मक विकास होता है।
- स्कूल-पूर्व गतिविधियों को पाँच भागों में बाँटा गया है— बच्चों का शारीरिक विकास, भाषा का विकास, रचनात्मकता का विकास, सामाजिक विकास और बुद्धि का विकास करना।
- चलने-फिरने की समस्त क्षमता के विकास की गतिविधियाँ हैं— दौड़ना, कूदना, फाँदना, उछलना आदि। चलने-फिरने की सूक्ष्म क्षमता के विकास से संबंधित गतिविधियाँ है— चित्रकारी, मनके के दानों की माला बनाना, बीज, सीपी, बटन आदि छोटी वस्तुओं को छाँटना।
- भाषा के विकास से संबंधित गतिविधियों में सुनना और बच्चों से बातचीत का अभ्यास करवाना।
- बच्चों को अपने हाथों से कोई चीज़ बनाकर, अपने शरीर को हिला-डुला कर और अपनी आवाज का इस्तेमाल कर स्वयं को प्रकट करने का मौका देना।
- बच्चों में सही प्रवृत्ति, आचरण और आदत विकसित करने में मदद करना।
- सैट, अलग-अलग नमूने, क्रम (सिरिज) और संकल्प के खेल आदि द्वारा बच्चे की वृद्धि को विकसित करने और उन्हें स्कूल जाने के लिए तैयार करने में मदद करना।

- प्रतिदिन अलग-अलग तरह की गतिविधियों की योजना बनाना। बच्चों को छोटे समूहों में या स्वतंत्र रूप से भी काम करने देना।
- बच्चों की गतिविधियों में उत्साह के साथ भाग लेना। एक समूह से दूसरे समूह में जाकर और अलग-अलग बच्चों से मिलकर उनकी सराहना करना तथा उनका उत्साह बढ़ाना।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ई.सी.सी.ई.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) में स्कूली शिक्षा को 5 + 3 + 3 + 4 के फॉर्मूले के तहत क्रियान्वयन किया जाना है। नए फॉर्मूले में 3 वर्ष के बच्चे को शामिल कर उसके प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा को एक मजबूत आधार दिया गया है, जिससे आगे चलकर बच्चों का सर्वांगीण विकास हो और बेहतर भविष्य बन सके। राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा नीति 6 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों के समग्र विकास और सक्रिय सीखने की क्षमता, मुफ्त, सार्वभौमिक, समावेगी, न्यायसंगत, आनंदपूर्ण और प्रासंगिक अवसरों को बढ़ावा देने और पूर्ण क्षमता प्राप्त करने के अवसरों को बढ़ावा देने की कल्पना करती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा में खेल-आधारित, गतिविधि आधारित और खोज-आधारित शिक्षा को शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत वर्णमाला, भाषा, संख्या, गिनती करना, रंग पहचानना, बाहरी खेल, जैसे— दौड़ना, कूदना, फाँदना, उछलना, बालू का खेल, मुक्त खेल इत्यादि तथा घर के अंदर का खेल जैसे— मिट्टी के खिलौनें बनाना, गीत गाना, नाटक, कहानी सुनाना, चित्रकारी करना, इत्यादि को शामिल किया गया है। इसके अलावा, इसके अंतर्गत बच्चों के सामाजिक क्षमता का विकास करना, मानवीय संवेदना, अच्छा व्यवहार, शिष्टाचार, नैतिकता, व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्वच्छता, समूह में कार्य करना और आपसी सहयोग को विकसित करने पर भी बल दिया गया है।

रा.शै.अ.प्र.प. 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए ई.सी.सी.ई. के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढाँचा विकसित करेगी। आँगनबाड़ी केंद्र, पूर्व-प्राथमिक विद्यालय और प्रारंभिक बाल्यावस्था संस्थानों के माध्यम से शिक्षा दी जाएगी। ई.सी.सी.ई. को सब तक पहुँचाने के लिए आँगनबाड़ी केंद्रों के आधारभूत ढाँचे, खेल के उपकरणों और शिक्षकों को और सशक्त बनाया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों के संज्ञानात्मक, भावनात्मक और शारीरिक क्षमताओं के विकास के लिए प्राथमिक स्कूलों में 'बालवाटिका' की व्यवस्था होगी, जिसमें योग्य शिक्षक होंगे। 'बालवाटिका' में सीखने का माध्यम खेलकूद होगा। ई.सी.सी.ई. शिक्षकों को तैयार करने के लिए रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा विकसित पाठ्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाएगा। एन.ई.पी. 2020 में राज्य सरकारों को व्यवसायिक शिक्षा के अंतर्गत योग्य ई.सी.सी.ई. शिक्षकों को तैयार करने की बात कही गई है। आदिवासी बहुल क्षेत्रों मे आश्रम वाले विद्यालयों में भी ई.सी.सी.ई. को एकीकृत करने की बात एन.ई.पी. 2020 में कही गई है। ई.सी.सी.ई. पाठ्यक्रम और शिक्षण विधि कार्यान्वयन की जिम्मेदारी शिक्षा मंत्रालय, महिला और बाल विकास, स्वास्थ्य और

परिवार कल्याण मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से की जाएगी।

चुनौतियाँ और अवसर

कुछ प्रमुख चुनौतियाँ निम्नलिखित हैं—

- सरकार द्वारा कार्यान्वयन के दौरान ई.सी.सी.ई. के लिए गुणवत्ता मानकों से समझौता में निहित है।
- शिक्षक एवं बच्चों का अनुपात एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। इससे बच्चों के साथ बातचीत करने का उचित समय मिलता है, परंतु अधिकांश आंगनबाड़ी केंद्रों में कम से कम 40 तथा अधिकांश 55 तक बच्चों की संख्या हो सकती है और मात्र एक सेविका पढ़ाने के लिए होती है।
- अधिकांश ई.सी.सी.ई. केंद्रों पर पढ़ना, लिखना और अधिकांश ई.सी.सी.ई. केंद्रों पर पढ़ना, लिखना और अंकगणित को रटाने पर जोर दिया जाता है। अधिकांश शिक्षक सरकारी ई.सी.सी.ई. केंद्र का मतलब भी नहीं समझते हैं।
- ई.सी.सी.ई. केंद्रों पर बच्चों में भावनात्मक, संज्ञानात्मक और कला तथा शिल्प के लिए गतिविधियाँ शायद ही कभी पाई जाती हैं। ई.सी.सी.ई. केंद्रों पर आधारभूत संरचनाओं की कमी पाई जाती है, जो एक बड़ी चुनौती है। एन.ई.पी. (2020) में, ई.सी.सी.ई. केंद्रों को प्राथमिक विद्यालयों से जोड़ने की बात कही गई है, जो एक अच्छी पहल होगी। लेकिन यह देखा गया है कि एक प्राथमिक विद्यालय के अंतर्गत 4–5 ई.सी.सी.ई. केंद्र हैं। अगर इन्हें प्राथमिक विद्यालयों से जोड़ा गया तो क्या बच्चे जिनका घर विद्यालय से दूर है, उनकी पहुँच विद्यालय तक कैसे होगी? एन.ई.पी. (2020) में रा.शै.अ.प्र.प. को ई.सी.सी.ई. शिक्षकों के पाठ्यक्रम एवं प्रशिक्षण की जिम्मेदारी हो गई है, जो एक अच्छी पहल है। इससे अच्छे प्रशिक्षण का अवसर शिक्षकों को मिलेगा।
- ई.सी.सी.ई. के प्रमुख मुद्दों में से एक प्रशिक्षित शिक्षकों की अनुपलब्धता है। आँगनबाड़ियों में वर्तमान में शिक्षा के लिए आधारभूत और बुनियादी ढाँचे की काफी कमी है।

अवसर

- एन.ई.पी (2020) में ई.सी.सी.ई. केंद्रों को प्राथमिक विद्यालय से जोड़नें की बात कही गई है, जो एक अच्छी पहल होगी।
- एन.ई.पी. (2020) में रा.शै.अ.प्र.प. को ई.सी.सी.ई. के पाठ्यक्रम एवं शिक्षकों के प्रशिक्षण की जिम्मेदारी दी गई है, जो एक अच्छी पहल है। शिक्षकों को कौशलों के विकास के लिए अवसर मिलेगा।

निष्कर्ष

सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि सभी बच्चे लिंग और जाति-धर्म पर ध्यान दिए बिना, गुणवत्ता पूर्ण ई.सी.सी.ई. पहुँचे। इस प्रयास में सरकार ने ई.सी.सी.ई. की गुणवत्ता में सुधार के लिए बहुत पहल की है। आँकड़े बताते हैं कि ई.सी.सी.ई. की गुणवत्ता देश भर में विविध है। ई.सी.सी.ई. केंद्रों पर बुनियादी आवश्यकताओं की कमी है, जैसे— गतिविधियों का आयोजन, भौतिक सुविधाएँ, स्वास्थ्य सुविधाएँ, सक्षम शिक्षक, शिक्षक का प्रशिक्षण इत्यादि। इससे पता चलता है कि गुणवत्ता मानकों से विभिन्न स्तरों पर

समझौता किया जाता है। हालाँकि, सरकार की ओर से ठोस हस्तक्षेप, स्थानीय और व्यक्तिगत स्तर पर इन चुनौतियों का मुकाबला किया जाता है। एन.ई.पी (2020) में ई.सी.सी.ई. की गुणवत्ता में सुधार की बात की गई है, जो एक अच्छी पहल है। लेकिन इसके लक्ष्य को प्राप्त करने पर बहुत सारी चुनौतियों तक कैसे पहुँचे, क्योंकि जहाँ घनी आबादी नहीं है वहाँ ई.सी.सी.ई. केंद्रों की दूरी ज्यादा होगी। सरकार को ऐसे स्थानों के लिए रिक्शा जैसे वाहनों की सुविधाएँ प्रदान करनी होंगी।

संदर्भ

अरुणा, एम., एस. वज़ीर. और पी. विद्यासागर. 2000. प्रीस्कूलर के विकास में बाल पालन और सकारात्मक विचलन : एक सूक्ष्म विश्लेषण. *भारत बाल रोग 2001*, 38, पृ.सं. 332–339.

दक्षिण पश्चिम शैक्षिक विकास प्रयोगशाला (एस.ई.डी.एल.). 2010. प्रारंभिक बचपन शिक्षा और विकास केंद्र. *प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के लिए शिक्षकों को तैयार करना.* अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली, नई दिल्ली.

बॉल, जे. 2011. विविध भाषा पृष्ठभूमि वाले बच्चों की शिक्षा में वृद्धि : प्रारंभिक वर्षों में मातृभाषा आधारित द्विभाषी या बहुभाषी शिक्षा. *विश्लेषणात्मक समीक्षा यूनेस्को शिक्षा क्षेत्र द्वारा कमीशन*. यूनेस्को, फ्रांस.

बोएथेल, एम. 2005. *स्कूल परिवार, और सामुदायिक कनेक्शन, वार्षिक संश्लेषण. स्कूलों के साथ परिवार और सामुदायिक कनेक्शन के लिए राष्ट्रीय केंद्र,* टेक्सास.

ब्लॉस्टीन, एम. 2005. सुनें, स्पर्श करें! सीखने की तैयारी का मूल, विकासात्मक रूप से उपयुक्त अभ्यास. *पत्रिका से परे, छोटे बच्चे*. एन.ए.ई.ई.सी.

भिसे, सी.डी. और आर. सोनावत. 2016. बच्चों की स्कूली तैयारी को प्रभावित करने वाले कारक. *हाल के विज्ञान के अनुसंधान जर्नल* 5(5), पृ.सं. 53–58.

शिक्षा रिपोर्ट की वार्षिक स्थिति. 2013. *शिक्षा रिपोर्ट की वार्षिक स्थिति (ग्रामीण) 2013*— अनंतिम. असर केंद्र, नई दिल्ली.